चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 02.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ‘‘मिशन शक्ति’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ‘‘एंटी रोमियो स्क्वायड’’ टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 02.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री निशीकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये कुल 10 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 03 लाख 28 हजार 200 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध मे पीडित 10 व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के नाम पर कुल 03 लाख 28 हजार 200 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री निशीकान्त राय, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 10 पीडितों के कुल 03 लाख 28 हजार 200 रुपये बरामद कराया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आम जनमानस द्वारा बैंक आने जानें व बैंकिग औपचारिकताओं में नष्ट होने वाले समय से बचने के लिये व भारत सरकार के डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में आम जनमानस भी जिनके पास एन्ड्राइड मोबाइल उपलब्ध है ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं लेकिन इस कार्य में जरा सी असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे है। अतः ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे व्यक्तियों को यह जानकारी जरुरी है कि कैसे-कैसे हम साइबर ठगी का शिकार हो सकते है और क्या सावधानी अपनायें की साइबर ठगी से बचा जा सके। जनपदीय साइबर सेल द्वारा लगातार लोगों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरुक किया जाता हैं एवं साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर अथक प्रयास करते हुये सम्बन्धित बैंकों से समन्वय स्थापित कर पीड़ितों की धनराशि वापस करायी जाती है।

नोट- किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1).प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल मय हमराह उ0नि0 जुबैर खां,उ0नि0यूटी सौरभ गौतम आरक्षी अशोक पाल,आरक्षी अश्वनी कुमार, चालक आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह द्वारा मु0न0 8001/19 सर0 आशीष कुमार आदि धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्तगण 1.विमल पुत्र राममूरत 2.आशीष कुमार पुत्र राममूरत निवासीगण ग्राम खोर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(2).चौकी प्रभारी गनीवा उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह व उनकी टीम मुख्य आरक्षी चालक वीरेन्द्र कुमार आरक्षी प्रमोद कुमार द्वारा अ0सं0 61/12 धारा 323,504,506 भादवी के आरोपी अभियुक्त छेदीलाल सिंह पटेल पुत्र भोला प्रसाद निवासी ग्राम कधविनया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(3). उपनिरीक्षक मुन्नीलाल थाना सरधुवा मय हमराह आरक्षी दीपांकर सिंह,आरक्षी चालक शक्ति सिंह द्वारा मु0अ0सं0 123/21 धारा 279,337,338,304 ए भादवि0 के आरोपी अभियुक्त शिव लखन पुत्र भगवतपाल निवासी सीकरी सालिस मजरा खोपा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय,उ0नि0 श्री अजहर जमाल थाना बहिलपुरवा मय हमराह आरक्षी जितेन्द्र मौर्य द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 49/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त कामता प्रसाद पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम सेहरिन मजरा मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(5).उ0नि0 राजेश कुमार थाना रैपुरा मय हमराह आरक्षी पवन यादव द्वारा अ0सं0 147/17 धारा 379/411 भा0द0वि0 व 4/21 खान एवं खनिज अधि0 के वारण्टी अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र केदार निवासी बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(6).उ0नि0 रामप्रीत सिंह थाना रैपुरा मय हमराह आरक्षी अश्वनी कुमार द्वारा मु0नं0 279/19, NCR NO 16/15 धारा 323/504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त ओंकार पुत्र श्याम निवासी नटो का डेरा बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(7). उ0नि0 शिवसागर दुबे, उ0नि0 रामप्रीत सिंह, उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह आरक्षी पवन यादव,आरक्षी बब्बू राजा,आरक्षी आकाश सेन,आरक्षी हेमन्त आर्य,आरक्षी चालक अंकित शुक्ला द्वारा परिवाद संख्या 466/2023 धारा 323/504/506 भादवि0 व 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त चन्द्रिका गौतम पुत्र शिवऔतार निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।